न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, अनुमण्डल न्यायालय, हिलसा (नालन्दा)

प्रपत्र–क

न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीष, प्रथम, अनुमण्डल न्यायालय, हिलसा (नालन्दा)

उपस्थितः आलोक कुमार पाण्डेय–।
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,
प्रथम, हिलसा (नालन्दा)

निर्णय पारित करने की तिथि –30 मार्च 2026 ई.

सत्र वाद संख्या–107/2018

वाद पंजीयन सं–55/2018

जी.आर. वाद संख्या–2125/2015

प्राथमिकी संख्या–हिलसा थाना काण्ड सं–524/2015

सूचक	प्रभु चरण चौहान पे0 यदु चौहान, ग्राम–नोनिया विगहा, थाना–हिलसा, नालन्दा
सूचक/राज्य की तरफ से विद्वान अपर लोक अभियोजक	श्री राजाराम सिंह
अभियुक्त	1. कन्हाई चौहान पे0 स्व0 लाला चौहान, उम्र लगभग 42 वर्ष 2. ओम प्रकाश चौहान पे0 स्व0 कैलाश चौहान उम्र लगभग 55 वर्ष 3. लक्ष्मण चौहान पे0 स्व0 कैलाश चौहान, उम्र लगभग 62 वर्ष 4. बृजनन्दन चौहान पे0 स्व0 कैलाश चौहान, उम्र लगभग 45 वर्ष 5. रामवली चौहान पे0 स्व0 कैलाश चौहान उम्र लगभग 58 वर्ष 6. चन्दन चौहान पे0 रामवली चौहान उम्र लगभग 30 वर्ष सभी साकिन–नोनिया विगहा, थाना–हिलसा, नालन्दा
बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता	श्री अनिल कुमार

प्रपत्र–ख

घटना तिथि	17.09.2015
ममला दर्ज होने की तिथि	18.09.2015
न्यायालय के आरोप पत्र समर्पित होने की तिथि	18.02.2016
आरोप गठन की तिथि	28.03.2019
अभियोजन साक्ष्य आरंभ होने की तिथि	10.05.2019
तिथि जिस दिन यह वाद निर्णय पर नियत किया गया	23.03.2026
सजा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि	———

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त क्रमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफ़्तारी / इस वाद में न्यायिक अभिरक्षा में जाने की तिथि	आरोप अन्तर्गत धारा	दोषसिद्धी या दोषमुक्ति	सजा	Period of detention undergone during trial for the purpose of S.428Cr.p.c.
01	कन्हाई चौहान पे0 स्व0 लाला चौहान,	—	धारा–147, 148, 307,323,504,506, 341/149 भा.द.वि. एवं धारा–27 शस्त्र अधि0	दोषमुक्ति	——	——
02	ओम प्रकाश चौहान पे0 स्व0 कैलाश	—	धारा–147, 148, 307,323,504,506, 341/149 भा.द.वि.	उपरोक्त	—	—
03	लक्ष्मण चौहान पे0 स्व0 कैलाश चौहान,	—	उपरोक्त	उपरोक्त	—	—
04	बृजनन्दन चौहान पे0 स्व0 कैलाश चौहान,	—	उपरोक्त	उपरोक्त	—	—
05	रामवली चौहान पे0 स्व0 कैलाश चौहान	—	उपरोक्त	उपरोक्त	—	—
06	चन्दन चौहान पे0 रामवली चौहान सभी साकिन– नोनिया विगहा, थाना–हिलसा, नालन्दा	—	उपरोक्त	उपरोक्त	—	—

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम हिलसा (नालन्दा)

अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय साक्षियों की सूची

(क) अभियोजन साक्षी

कमांक	साक्षी का नाम	साक्षियों की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, अन्य साक्षी)
01	प्यारी देवी	सूचक की पत्नी एवं प्रत्यक्षदर्शी
02	प्रभुचरण चौहान	सूचक एवं प्रत्यक्षदर्शी
03	रामानुज उर्फ अभिनव कुमार	पक्षद्रोही साक्षी
04	विद्यासागर कुमार	पक्षद्रोही साक्षी

(ख) बचाव साक्षी

कमांक	साक्षी का नाम	साक्षियों की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, अन्य साक्षी)
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

(ग) न्यायालय साक्षी

कमांक	साक्षी का नाम	साक्षियों की प्रकृति (चक्षुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, अन्य साक्षी)
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

अभियोजन / बचाव पक्ष / न्यायालय दस्तावेजी साक्ष्यों की सूची

(क) अभियोजन दस्तावेजी साक्ष्य

कम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श –01 / अ.सा.–02	लिखित आवेदन पर हस्ताक्षर

(ख) बचाव पक्ष का दस्तावेजी साक्ष्य

कम संख्या	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

(ग) <u>न्यायालय प्रदर्श</u>

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

(घ) <u>वस्तु प्रदर्श</u> (अभियोजन पक्ष से)

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

<u>निर्णय</u>

1. इस विचारण में अभियुक्तगण कन्हाई चौहान, ओम प्रकाश चौहान, लक्ष्मण चौहान, बृजनन्दन चौहान, रामवली चौहान एवं चन्दन चौहान को आरोप अन्तर्गत धारा–147, 148, 307/149,323/149,504/149,506/149,341/149 भा.द.वि. के आरोपों से एवं अभियुक्त कन्हाई चौहान को उपरोक्त आरोपों के अतिरिक्त धारा–27 शस्त्र अधिनियम के भी आरोप से आरोपित किया गया है।

2. सूचक प्रभु चरण चौहान द्वारा हिलसा थाना में दिये गये आवेदन में वर्णित अभियोजन पक्ष का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.09.2015 को इनके खेत में कन्हाई चौहान का बकरी राहड़ चर रहा था तो सूचक कन्हाई चौहान को गाली–गलौज किया था। दिनांक 17.09.2015 को सूचक का बेटा रामअनुज चौहान शाम करीब पांच बजे पैखाना करने के लिए जुनियार स्टेशन की ओर जा रहा था तो पहले से घात लगाकर बैठा कन्हाई चौहान ने सूचक के बेटा को पकड़ लिया और उसका साला ओम प्रकाश चौहान, लक्ष्मण चौहान, बृजनन्दन चौहान, रामवली चौहान एवं चन्दन चौहान ने सूचक के बेटा को खींचते एवं मारते–पीटते जान मारने की नियत से अपने घर ले जा रहे थे तो विद्यासागर चौहान उर्फ छोटे चौहान सूचक को कहने आया कि सभी लोग मार रहे हैं। सूचक दौड़कर अपने बेटे को बचाने दौड़ा तो देखा कि सभी लोग मार रहे हैं, वहॉ सूचक बचाने गया तो कन्हाई चौहान पिस्टल से जान मारने की नियत से गोली चलाया, जो सूचक के सिर के उपर से निकल गया। उसके बाद पिस्टल से मारा तो सूचक का हाथ फट गया। ओम प्रकाश ने रॉड से मारा तो सूचक का पैर फट गया। सूचक और उसके बेटा को लाठी, रॉड से बहुत मारा और सूचक के बेटा का एक भर का चेन एवं नोकिया मोबाईल छीन लिया, जिसके संबंध में सूचक द्वारा लिखित आवेदन थाना में दिया गया। तत्पश्चात् यह घटना हिलसा थाना काण्ड सं–524/2015 (अन्तर्गत धारा–341,323,504,307/34 भा0द0वि0 एवं धारा–27 शस्त्र अधिनियम) के रूप में दर्ज की गई।

3. अनुसंधानकर्ता द्वारा घटना का अनुसंधान कर, घटना को धारा–147, 148, ~~307~~,149,341,323,504,307,506 भा.द.वि. एवं धारा–27 शस्त्र अधिनियम में सत्य पाकर अभियुक्तगण कन्हाई चौहान, ओम प्रकाश चौहान, लक्ष्मण चौहान, बृजनन्दन चौहान, रामवली चौहान एवं चन्दन चौहान के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय में समर्पित किया गया। आरोपपत्र, वाद दैनिकी एवं अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा–147, 148, ~~307~~,149,341,323,504,307,506 भा.द.वि. एवं धारा–27 शस्त्र अधिनियम में संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी के नामित सभी छह अभियुक्तों को आहूत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 13.02.2018 को विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा सभी छह अभियुक्तों का वाद दौरासुपुर्द कर विद्वान सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया। तत्पश्चात् यह वाद स्थानांतरण के क्रम में विचारण हेतु इस न्यायालय की संचिका को प्राप्त हुआ।

4. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.03.2019 को अभियुक्तगण कन्हाई चौहान, ओम प्रकाश चौहान, लक्ष्मण चौहान, बृजनन्दन चौहान, रामवली चौहान एवं चन्दन चौहान को आरोप अन्तर्गत धारा–147, 148, 307/149,,323/149, 504/149, 506/149,341/149 भा.द.वि. के आरोपों से एवं अभियुक्त कन्हाई चौहान को उपरोक्त आरोपों के अतिरिक्त धारा–27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत आरोप गठित कर आरोप का सारांश सभी अभियुक्तों को हिन्दी में सुनाया व समझाय गया, जिसे सुन व समझकर अभियुक्तों ने इन आरोपों से इनकार करते हुए विचारण की मांग की।

5 अभियुक्तगण का कथन है कि ऐसी कोई तथाकथित घटना घटित नहीं हुई एवं वे निर्दोष हैं। द.प्र.सं. की धारा–313 के अन्तर्गत किये गये कथन में भी अभियुक्तों ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए तथाकथित घटना के घटित होने से इनकार किया है।

6. अब इस न्यायालय के समक्ष प्रमुख विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपों को समस्त युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित कर पाने में सफल रहा है ?

मन्तव्य

7. अभियोजन पक्ष की तरफ से मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, जिसका विवरण पूर्व में अंकित है।

8. बचाव पक्ष की तरफ से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. इस वाद में अभियुक्तगण क्रमशः कन्हाई चौहान, ओम प्रकाश चौहान, लक्ष्मण चौहान, बृजनन्दन चौहान, रामवली चौहान एवं चन्दन चौहान को आरोप अन्तर्गत धारा–147, 148, 307/149,,323/149, 504/149, 506/149,341/149 भा.द.वि. के आरोपों से एवं अभियुक्त कन्हाई चौहान को उपरोक्त आरोपों के अतिरिक्त धारा–27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया है एवं इस संदर्भ में इस वाद के अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 17.09.2015 को इस वाद के अभियुक्तगण एक साथ मिलकर एवं नाजायज मजमा बनाकर जुनियार स्टेशन के पास सूचक प्रभु चरण चौहान के पुत्र रामअनुज चौहान एवं सूचक को घेरकर लाठी, पिस्तौल के वट से बुरी तरह से मारपीट किये थे एवं इस क्रम में अभियुक्त कन्हाई चौहान द्वारा अवैध शस्त्र से फायरिंग भी की गई थी।

अब इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्यों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट होता है कि अ.साक्षी सं–3 रामअनुज उर्फ अभिनव कुमार एवं अ. साक्षी सं–4 विद्यासागर कुमार द्वारा अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में अभियोजन पक्ष के कथन का कोई समर्थन नहीं किया है एवं इन्हें अभियोजन पक्ष के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इसी प्रकार अ. साक्षी सं–1 प्यारी देवी ने यद्यपि अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन किया है, किन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी का पूर्ण प्रतिपरीक्षण नहीं कराया जा सका है एवं पूर्ण प्रतिपरीक्षण नहीं कराये जाने के संदर्भ में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई युक्ति–युक्त स्पष्टीकरण भी नहीं दिया जा सका है। ऐसी स्थिति में इनके साक्ष्य का कोई साक्षिक महत्व नहीं रहा जाता है। अब यदि इस वाद के सबसे महत्वपूर्ण साक्षी अ. साक्षी सं–2 प्रभुचरण चौहान (सूचक) के साक्ष्य का अवलोकन करें तो यद्यपि इन्होंने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में अभियोजन पक्ष के उपरोक्त कथन का आंशिक समर्थन किया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में इन्होंने स्वीकार किया है कि मारपीट कौन किया था, ये नहीं देखे। शक, संदेह के आधार पर अभियुक्तों पर मुकदमा कर दिये। लिखित आवेदन इन्हें पढ़कर नहीं सुनाया गया था। बाद में पुलिस ने इनसे पूछताछ नहीं किया था। इस साक्षी के साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस साक्षी के साक्ष्य में अभियोजन पक्ष के उपरोक्त कथन को लेकर तात्विक विरोधाभाष है, जिससे अभियोजन पक्ष के कथन पर संदेह उत्पन्न होता है एवं अभियुक्तों के इस कथन पर बल मिलता है कि वे निर्दोष हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तो के विरूद्ध आरोपो को समस्त युक्तीयुक्त संदेहो से परे साबित कर पाने में सफल नही रहा है।

अतएवः

आदेश

अभियुक्तगण कमशः कन्हाई चौहान, ओम प्रकाश चौहान, लक्ष्मण चौहान, बृजनन्दन चौहान, रामवली चौहान एवं चन्दन चौहान को आरोप अन्तर्गत धारा–147, 148, 307 / 149,323 / 149, 504 / 149, 506 / 149,341 / 149 भा.द.वि. के आरोपों से एवं अभियुक्त कन्हाई चौहान को उपरोक्त आरोपों के अतिरिक्त धारा–27 शस्त्र अधिनियम के आरोप में दोषी न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है। इनके बन्धपत्रों को खण्डित करते हुए इन्हें व इनके प्रतिभूओं को इस दायित्व से मुक्त किया जाता है।

दिनांक–30.03.2026
स्थान– हिलसा, नालन्दा

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
अनुमण्डल न्यायालय, हिलसा (नालन्दा)

मेरे द्वारा संशोधित, हस्ताक्षरित व दिनांकित निर्णय आज उभय पक्षों की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–30.03.2026
स्थान– हिलसा, नालन्दा

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
अनुमण्डल न्यायालय, हिलसा (नालन्दा)

S.T- 107/2018

Uploading date	20.04.2026
Uploaded by	AJAY KUMAR (D.E.O.)